रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. ....111/2022............. दिनांक ....01-04-2022.........
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें.........7, 7ए ....
   (ब) अधिनियम ....भा0द0स0 1860...........धारायें.....120बी.......................................
   (स) अधिनियम ....धारायें...
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......15...........समय.........................6:10pm
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–गुरूवार / 31.03.2022 / 07.30 पी.एम...
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–29.03.2022 समय.–11.20 ए.एम. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक कोटा।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –दक्षिण , दूरी करीब 320 किमी...
   (ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं.........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना..............जिला......................

6.परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री हेमराज**
   (ब) पिता / पति का नाम श्री रामहरि मीना जाति मीना ....(स) जन्म तिथि / वर्ष 36 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह...................................
   (र) व्यवसाय...... ।
   (ल) पता....ग्राम –फुलवाडा पुलिस थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर हाल खान पान निरीक्षक भरतपुर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

   1– श्री अजय कुमार पाल पुत्र अक्षयवर नाथ पाल जाति बघेल (पाल) उम्र 34 साल निवासी ग्राम नयनपुर पुलिस थाना भदोही कोतवाली जिला सन्त रविदास नगर उत्तर प्रदेश हाल निवासी सरकारी आवास नं0 आरई –V/3 रेल्वे ऑफिसर कॉलोनी कोटा हाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक (आई.आर.टी.एस.)कोटा मण्डल।

   2– श्री महेश कुमार पुत्र रामखिलाडी जाति ब्राहम्ण उम्र 50 साल निवासी वर्धमान नगर हिण्डौन सिटी पुलिस थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल केटरिंग बैण्डर (दलाल) रेल्वे स्टेशन हिण्डौन सिटी।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही..................................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....20,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)........ ....20,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं.....................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)...................

सेवामें, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर विषय– रिश्वत लेते हुए रंगें हाथो पकडवाने बाबत। महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं हेमराज मीना पुत्र रामहरी मीना जाति मीना निवासी फुलवाड़ा थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ तथा मैं कोटा मण्डल के भरतपुर रेलवे स्टेशन पर खानपान निरीक्षक के पद पर पदस्थापित हूँ। कोटा मण्डल में वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक के पद पर श्री अजय कुमार पाल पदस्थापित है। जिनके अधीन भरतपुर रेलवे स्टेशन भी आता है। श्री अजय कुमार पाल

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक द्वारा मुझे दिनांक 16.03.2022 को एक आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी किया था जो मुझे दिनाँक 22.03.2022 को स्टेशन प्रबन्धक भरतपुर के जरिये प्राप्त हुआ था जिसका जबाब मैने दिलॉक 28.03.2022 को भिजवा दिया है। इसके बाद आज दिनांक 29.03.222 को हिन्डौन सिटी रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग बैण्डर का कार्य करने वाले श्री महेश चन्द्र शर्मा का मेरे पास कॉल आया कि तुम्हारी चार्जशीट फाइल जायेगी / माफ हो जायेगी उसके लिए आपको वरि0 मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक श्री अजय कुमार पाल को खर्चे पानी के 20,000 रुपये देने होगे, मै तुमको साथ लेकर कोटा में उनके निवास पर ले जाकर पैसे दिलवा दूंगा और आपका काम हो जायेगा। मेरी अजय पाल सर से बातचीत हो चुकी है। श्री अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक कोटा मण्डल जी महेश शर्मा के मार्फत 20,000 रूपये रिश्वत की माँग चार्जशीट माफ करने की एवज मे माँग रहे हैं। मैं इनको रिश्वत में 20,000 रुपये रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ कार्यवाही करने की कृपा करे एसडी हेमराज मीणा 29.03.22 हेमराज पुत्र रामहरि मीना जाति–मीना उम्र– 36 साल निवासी फुलवाड़ा, थाना वजीरपुर जिला– सवाई माधोपुर मो.नं. – 7733001709 हाल खानपान निरीक्षक रेलवे स्टेशन –भरतपुर एसडी महेश मीणा अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू भरतपुर। 29.03.2022 एसडी नरेश सिंह 31.03.2022 एसडी अनूप सिंह 31.03.2022

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 29.03.2022 को समय 11.20 ए.एम. पर परिवादी श्री हेमराज पुत्र रामहरि मीणा जाति मीना उम्र 36 साल निवासी फुलवाडा थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर हाल खान पान निरीक्षक रेल्वे स्टेशन भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति व परिवादी को वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक मण्डल कोटा द्वारा दिये गये आरोप पत्र की छाया प्रति व आरोप पत्र पर परिवादी द्वारा दिये गये जबाब की छाया प्रति के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पेश की मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मैं कोटा मण्डल के भरतपुर रेलवे स्टेशन पर खानपान निरीक्षक के पद पर पदस्थापित हूँ। कोटा मण्डल में वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक के पद पर श्री अजय कुमार पाल पदस्थापित है। जिनके अधीन भरतपुर रेलवे स्टेशन भी आता है। श्री अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक द्वारा मुझे दिनांक 16.03.2022 को एक आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी किया था जो मुझे दिनाँक 22.03.2022 को स्टेशन प्रबन्धक भरतपुर के जरिये प्राप्त हुआ था जिसका जबाब मैने दिलॉक 28.03.2022 को भिजवा दिया है। इसके बाद आज दिनांक 29.03.222 को हिन्डौन सिटी रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग बैण्डर का कार्य करने वाले श्री महेश चन्द्र शर्मा का मेरे पास कॉल आया कि तुम्हारी चार्जशीट फाइल जायेगी / माफ हो जायेगी उसके लिए आपको वरि0 मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक श्री अजय कुमार पाल को खर्चे पानी के 20,000 रुपये देने होगे, मै तुमको साथ लेकर कोटा में उनके निवास पर ले जाकर पैसे दिलवा दूंगा और आपका काम हो जायेगा। मेरी अजय पाल सर से बातचीत हो चुकी है। श्री अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक कोटा मण्डल जी महेश शर्मा के मार्फत 20,000 रूपये रिश्वत की माँग चार्जशीट माफ करने की एवज मे माँग रहे हैं। मैं इनको रिश्वत में 20,000 रुपये रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश व लेन देन बाकी नहीं है। दलाल श्री महेश चन्द कैटरिंग बैण्डर मुझे बार बार कॉल कर हिण्डौन रेल्वे स्टेशन पर बातचीत के लिये बुला रहा है वहीं से मेरी चार्जशीट के संबंध में श्री अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, मण्डल कोटा से जरिये मोबाईल बात करेगा। उक्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का

पाया जाने पर समय 12.10 पीएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिये रीतराम सिंह हैड कानि. 45 से कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री हेमराज मीणा खान पान निरीक्षक भरतपुर को समझाकर दलाल व आरोपी से जरिये मोबाईल रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि. 203 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी को दलाल के पास जाने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। बाद हिदायत परिवादी व श्री परसराम कानि. को आरोपी दलाल से गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रेल्वे स्टेशन हिण्डौन सिटी जिला करौली मय प्राईवेट गाडी के रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.30 पीएम पर श्री परसराम कानि0 203 उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा वापस कार्यालय आया और अपने पास से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द हालात में पेश किया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर से मैं व परिवादी श्री हेमराज मीणा मय प्राईवेट वाहन के रवाना होकर रेल्वे स्टेशन हिण्डौन सिटी के पास पहुंचे जहां मैने विभागीय वॉईस रिकार्डर को अपना परिचय देकर परिवादी श्री हेमराज मीणा को वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु सुपुर्द कर दिया था मैं भी कुछ दूरी बना कर परिवादी के पीछे हो गया। परिवादी मेरे पास से रवाना होकर प्लेटफार्म पर पहंच गया। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया और मुझे बताया कि मेरी दलाल श्री महेश चन्द कैटरिंग बेण्डर से रिश्वत मांग संबंधी वार्ता हो चुकी है श्री महेश चन्द ने मेरे से कहा कि कल या परसो कोटा पहंच कर तुम्हारे हाथों से अजय पाल सर को 20,000/-रू दिलवा दुंगा व तुम्हारी चार्जशीट को बन्द करवा दुंगा तुम्हारा काम हो जावेगा दलाल महेश चन्द ने अपने मोबाईल से श्री अजय कुमार पाल को उसके वॉट्स पर कॉल किया परन्तु उन्होने कॉल रिसीब नहीं किया। जिसपर मुझे महेश चन्द ने कहा कि मेरी बात होते ही मै आपको कॉल कर बता दुंगा। मैने दलाल महेश चन्द से हुई वार्ता को वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है अभी मेरी बहिन की तबीयत ज्यादा खराब है मै आपके साथ भरतपुर चलने में असमर्थ हूं। कल उपस्थित हो जाउंगा इसके बाद मैने श्रीमान को जरिये मोबाईल हालात अर्ज किये श्रीमान के निर्देश अनुसार समझाईस कर रूखसत कर वापस आया। श्री परसराम कानि0 द्वारा पेश किये गये वॉईस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तो रिश्वत मांगं सत्यापन वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसका रूपान्तरण परिवादी के उपस्थित होने पर परिवादी की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया जावेगा। वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। इसके बाद दिनांक 04.00 पीएम पर परिवादी श्री हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि मेरी बहिन की तबीयत सही ही तथा मेरे पास कल शाम समय 09.18 पी.एम पर श्री महेश चन्द कैटरिंग बैण्डर के मोबाईल नम्बर 9530118758 से मेरे मोबाईल नं0 7733001709 पर कॉल आया था जिन्होने मेरे से कल दिनांक 31.03.2022 को कोटा चलकर श्री अजय कुमार पाल वरि0म0वा0प्र0 मण्डल कोटा से मिलकर चार्जशीट फाईल कराने संबंधी बात की थी। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी की अविलम्ब उपस्थित कार्यालय आवे जिससे फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व आगे की कार्यवाही की जा सके। तत्पश्चात समय 04.15 पीएम पर परिवादी श्री हेमराज मीणा से हुई जरिये मोबाईल हुई वार्ता अनुसार कल दिनांक 31.03.2022 को कोटा पहुंच कर ट्रेप कार्यवाही की जानी है ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय हाजा के श्री रितेश कुमार कानि0 64 को सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर के पदनाम से तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह को लाने हेतु कार्यालय नगर विकास न्यास भरतपुर रवाना करने पर समय

05.10 पीएम पर मय दो स्वतंत्र गवाह के उपस्थित कार्यालय आया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह आये दोनों स्वतंत्र गवाहान से उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री अनूप सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह जाति राजपूत उम्र 33 साल निवासी रामगंज उत्तरी 11/ई गोरखपुर यूपी पोस्ट सदर पुलिस थाना राजघाट हाल कनिष्ठ अभियंता नगर विकास न्यास भरतपुर एवं श्री नरेश सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति जाट उम्र 36 साल निवासी रघु आटा चक्की के पास सुभाष नगर भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियंता नगर विकास न्यास भरतपुर होना बताया जिन्हे कार्यवाही से अनविज्ञ रखते हुए कल दिनांक 31.03.2022 को समय 08.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 06.05 पीएम पर परिवादी श्री हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक उपस्थित कार्यालय आया जिसने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि कल दिनांक 29.03.2022 को दलाल श्री महेश चन्द कैटरिंग बैण्डर को फोन आया था जिसने मुझसे कल दिनांक 31.03.2022 शाम को जनशताब्दी एक्सप्रेस से कोटा चल कर श्री अजय कुमार पाल वरि0म0वा.प्र0 मण्डल कोटा से मिलकर रिश्वत राशि देकर मेरी चार्जशीट को फाईल कराने के संबंध में बात की थी। इसके बाद समय 06.10 पीएम पर परिवादी हेमराज मीणा व आरोपी दलाल श्री महेश चन्द कैटरिंग बैण्डर के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप को कम्प्यूटर में सेव किया गया एवं एक डीवीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। डीवीडी की और दो डीवीडी तैयार करवायी गई। मूल डीवीडी एवं मुल्जिम डीवीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "A" अंकित करवाकर मूल डीवीडी एवं मुल्जिम प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम डीवीडीयों को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम सिंह हैड कानि. को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.15 पीएम पर परिवादी श्री हेमराज मीणा से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/—रूपये के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि अभी मेरे पास 20,000/—रूपये रिश्वत राशि का इन्तजाम नहीं है। मै कल सुबह रिश्वत राशि लेकर उपस्थित हो जाउंगा। अतः परिवादी को कल दिनांक 31.03.2022 को समय 08.00 एएम पर रिश्वत राशि सहित उपस्थित होने के हिदायत देकर रूखसत किया गया। ट्रेप पार्टी को कोटा जाने के लिये ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया जा चुका है। कल दिनांक 31.03.2022 को अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके बाद दिनांक 31.03.2022 को समय 08.00 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मेरे पास रिश्वत राशि 20,000/—रूपये का इन्तजाम है। अतः श्री महेश चन्द दलाल कैटरिंग बैण्डर से हुई वार्ता अनुसार मुझे जनशताब्दी एक्सप्रेस से कोटा जाना है अतः मै कोटा पहंच आपसे सम्पर्क कर लुंगा। परिवादी को समझाईस कर कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 08.30 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश सिंह कनिष्ठ अभियंता व श्री अनूप सिंह कनिष्ठ अभियंता नगर विकास न्यास भरतपुर उपस्थित कार्यालय आये जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक से आपस में परिचय करवाया गया व परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया तथा दिनांक 29.03.2022 को परिवादी द्वारा पेश की गई लिखित रिपोर्ट को दोनों स्वतंत्र गवाहान का पढवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी मौखिक सहमति दी तथा प्रमाण स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 09.00 एएम पर श्री रीतराम सिंह हैड कानि0 45 को मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व श्री सत्यपाल कानि0 317, गम्भीर कानि0 मय प्रावेईट गाडी नम्बर आरजे 05

यूबी 8080 मय प्राईवेट चालक मय फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी जिसे प्राईवेट गाडी के डेस्कबार्ड में रखवाया जाकर हिदायत दी गई की फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी को अनावश्यक रूप से नहीं छूए, को कोटा के लिये रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री श्रवण बिश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री हरभान सिंह कानि. 591, श्री विनोद सिंह कानि0 114, श्री परसराम कानि0 203, श्री रितेश कुमार कानि0 64 व श्री गोखलेश कानि0 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के एसीबी चौकी भरतपुर से रवाना होकर भरतपुर रेल्वे स्टेशन पहुंच दिनांक 30. 03.2022 को करवाये गये रिजर्वेशन के द्वारा ट्रेन से कोटा के लिये रवाना होता हूं तथा परिवादी श्री हेमराज को हिदायत दी गई की आप जनशताब्तादी एक्सप्रेस से दलाल के साथ कोटा पहुंच कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करें। तत्पश्चात समय 01.20 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा जरिये ट्रेन सोगरिया स्टेशन पहुंचा जहां से ऑटो के जरिये कोटा रेल्वे स्टेशन के पास पहुंच होटल फिन्टीयर रोयल में किराये पर दो कमरे लेकर मुकीम हुआ शेष ट्रेप पार्टी व परिवादी का इन्तजार है उक्त के आने अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात समय 03.20 पीएम पर श्री रीतराम हैड कानि0 45 मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम के एसीसी भरतपुर से प्राईवेट गाडी से रवाना शुदा कोटा उपस्थित आये जिनको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुनासिब हिदायत दी गई कि आप कोटा रेल्वे स्टेशन के पास स्थित फिन्टीयर रोयल होटल के पास मुकीम रहें। परिवादी का आने का इन्तजार है आने अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात समय 06.35 पीएम पर श्री हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उपस्थित होटल आये। इसके बाद समय 06.40 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री हेमराज पुत्र श्री रामहरी जाति मीणा उम्र 36 साल निवासी फुलवाडा पुलिस थाना वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर हाल खानपान निरीक्षक रेल्वे स्टेशन भरतपुर कोटा मंडल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 40 नोट पांच–पांच सौ रूपये के कुल 20,000/– रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6GW314109
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का	3HL863208
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5ED643500
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0EQ124882
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0AH258117
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4TT317760
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4HD473770
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9EQ195218
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9AR037717
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0VK994323
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0HL642514
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2PG887720
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9BA887148
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6HF896841
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8AT030821
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1PG291196
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8RC754486

18.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1AS391290
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6TG931392
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2HT742826
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4AB*293910
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7UE138893
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1GB668673
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0KC568849
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7GU249308
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4RB271651
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0US764132
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8GB540651
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8UB846942
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4CC*378536
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5BL343889
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8ME354989
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9CQ231779
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4AT427597
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5UQ181136
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2WM893879
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5RF392584
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8PL335702
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1MK986379
40.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4HF195702

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री गोखलेश कानि. 454 से प्राईवेट गाडी के डेस्कबोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री गोखलेश कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री हेमराज की जामा तलाशी गवाह श्री नरेश सिंह कनिष्ठ अभियंता से लिवायी जाकर परिवादी के पास पहने हुए परिधान एवं उसके मोवाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 20,000/–रूपये के नोटों को सफेद कागज में लपेट कर कागज पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति लगवाया जाकर श्री गोखलेश कानि. से परिवादी श्री हेमराज की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दांयी जेब में सीधे ही रखवाये जाकर उसे हिदायत दी कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा उससे हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करे, आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री अनूप सिंह से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवा कर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर

उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री गोखलेश कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को होटल के कमरे की टॉयलेट में लगे वॉसबेशन में फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री गोखलेश कानि. को सुपुर्द कर अपने पास रखने की हिदायत दी गई। श्री गोखलेश कानि. के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को साबुन पानी से साफ करवा कर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति. पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी श्री हेमराज को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.10 पीएम पर परिवादी श्री हेमराज मीणा को श्री परसराम कानि0 साथ पैदल आगे–आगे रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री रीतराम सिंह हैड कानि. नं. 45 व श्री सत्यपाल सिंह कानि0 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के प्राईवेट गाडी से रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाप्ता श्री श्रवण कुमार बिश्नोई, श्री हरभान सिंह कानि0 , विनोद सिंह कानि0 114, रितेश कुमार कानि0 , श्री गम्भीर सिंह कानि0 पैदल पैदल होटल से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक के लिये रवाना हुआ नोटों पर पाउडर लगाने वाले श्री गोखलेश कानि0 को बाद हिदायत होटल में ही छोडा गया। तत्पश्चात समय 07.15 पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक कोटा के पास पहुंचे जहां प्राईवेट गाडी को साइड में खडा कर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देकर आरोपी के पास रवाना कर पीछे पीछे श्री परसराम कानि0 व श्री रीतराम हैड कानि0 को रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनो स्वतन्त्र गवाहान व शेष ट्रेप पार्टी के सदस्यों के रवाना होकर अपनी पहचान छुपाते हुए कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक के आस–पास अपनी उपस्थित छुपाते हुए खडे हो गये। इसके बाद समय 07.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री हेमराज मीणा खान पान निरीक्षक रेलवे स्टेशन भरतपुर, मण्डल कोटा के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक के परिसर से रवाना होकर मुख्य गेट पर पहुंचा जहां परिवादी श्री हेमराज उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉईस रिकॉडर को प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आपके द्वारा मुझे रिश्वत राशि सहित रवाना करने के बाद मैं कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा जहां पर श्री महेश शर्मा कैटरिंग बैण्डर रेल्वे स्टेशन हिण्डौन सिटी उपस्थित मिला जिसने मेरे से कहा कि मेरी श्री अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक से बात हो गई हैं इसके बाद मेरे से सफेद कागज में लिपटे हुए रिश्वत राशि

20,000/–रूपये अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी तरफ की जेब में रख ली और मुझे साथ लेकर श्री अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, मण्डल कोटा के ग्राउन्ड फ्लोर पर स्थित कमरा नं0 08 कक्ष में लेकर पहुंचा और मुझे बात चीत करने के लिये कक्ष के अन्दर भेज दिया व महेश कुमार कक्ष के बाहर खडा हो गया कक्ष के अन्दर श्री अजय कुमार पाल उपस्थित मिले जिन्होने मेरे से चार्जशीट के संबंध में बात चीत की और मुझे बाहर जाने को कहा इसके बाद मै बाहर आ गया और महेश कुमार शर्मा कैटरिंग बैण्डर कक्ष के अन्दर चला गया। इसके बाद मैने गेट के पास आकर आपको ईशारा कर दिया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता के कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक, कोटा के अन्दर प्रवेश कर परिवादी के बताये अनुसार कक्ष नं0 08 के बाहर पहुंचा जहां कक्ष के बाहर अजय कुमार पाल, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक की नेम प्लेट लगी हुई है। कक्ष के बाहर श्री संतोष चपरासी खडा हुआ है। कक्ष का दरवाजा खोलकर अन्दर प्रवेश किया तो कक्ष के अन्दर दो व्यक्ति आमने सामने बैठ कर बातचीत कर रहें हैं। परिवादी श्री हेमराज ने मैन कुर्सी पर बैठ हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री अजय कुमार पाल, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक हैं एवं सामने कुर्सी पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री महेश कुमार शर्मा कैटरिंग बैण्डर हैं जिन्होने ने मेरे से रिश्वत राशि 20,000/– रूपये अजय कुमार पाल के लिये ली है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए मैन कुर्सी पर बैठ व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजय कुमार पाल पुत्र अक्षयवर नाथ पाल जाति बघेल (पाल) उम्र 34 साल निवासी ग्राम नयनपुर पुलिस थाना भदोही कोतवाली जिला सन्त रविदास नगर उत्तर प्रदेश हाल निवासी सरकारी आवास नं0 आरई –V/3 रेल्वे ऑफिसर कॉलोनी कोटा हाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक (आई.आर.टी.एस.)कोटा मण्डल व दूसरे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेश कुमार पुत्र रामखिलाडी जाति ब्राहम्ण उम्र 50 साल निवासी वर्धमान नगर हिण्डौन सिटी पुलिस थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल केटरिंग बैण्डर (दलाल) रेल्वे स्टेशन हिण्डौन सिटी होना बताया। श्री महेश कुमार शर्मा कैटरिंग बैण्डर से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से ली गई रिश्वत राशि 20,000/–रूपये के संबंध में पूछा तो महेश कुमार शर्मा ने बताया कि मैं हिण्डौन सिटी रेल्वे स्टेशन पर कैटरिंग बैण्डर का कार्य करता हूं। श्री हेमराज मीणा हमारे कैटरिंग इन्सपेक्टर हैं एवं श्री अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, कोटा मण्डल हमारे मण्डल के अधिकारी हैं इस कारण दोनों से मेरी अच्छी जान पहचान है। श्री अजय कुमार पाल ने श्री हेमराज मीणा कैटरिंग इन्सपेक्टर को किसी मामले को लेकर चार्जशीट दी थी, जिसका पता मुझे चला तो मैने हेमराज जी से कहा कि मै तुम्हारी मदद करवा दुंगा और तुम्हारी खिलाफ चार्जशीट को अजय पाल सर से मिलकर बन्द करवा दुंगा, जिसके लिये खर्चा पानी लगेगा। इसपर दिनांक 29.03.2022 को हेमराज जी मेरे पास रेल्वे स्टेशन हिण्डौन पर मिलने के लिये आये थे जिनसे मेरी चार्जशीट बन्द करने के संबंध में बातचीत हुई थी एवं मैने उसी समय अजय पाल सर को भी वॉटसएप्प कॉल किया जिन्होने कॉल रिसीब नहीं किया था फिर मैने उनको वॉटसएप्प पर मैसेज डाला था इसके बाद शाम को अजय पाल सर से वॉटसएप्प कॉल के जरिये बातचीत हुई थी तो उन्होने आज दिनांक को हेमराज जी को साथ लेकर कोटा आने की कहा था। यह सारी बातें मैने हेमराज जी को बताई इसके बाद आज दिनांक 31.03.2022 को मैं जनशताब्दी एक्सप्रेस से कोटा आ गया था और हेमराज जी भी जनशताब्दी एक्सप्रेस से कोटा आ गये थे। मै कोटा आने के बाद अजय पाल सर से उनके चैम्बर में जाकर मिला और हेमराज जी के कार्य से संबंधित बातचीत की तो अजय पाल सर की हां के बाद मैने हेमराज जी को कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक में बुला लिया और हेमराज जी के आने के बाद मैने उनसे सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारा काम हो जावेगा और

20,000/–रूपये मुझे दे दो मै अजय पाल सर को दे दुंगा वो आपके हाथ से पैसे नहीं लेंगें इसके बाद हेमराज जी ने मुझे कागज में लिपटे हुए रूपये निकाल कर दिये और बताया कि यह 20,000/–रूपये हैं। इसके बाद हम दोनों अजयपाल सर के चैम्बर के बाहर आ गये तथा मैं चैम्बर के बाहर रूक गया तथा हेमराज जी सर को अजय पाल सर से मिलने के लिये उनके चैम्बर में भेज दिया। कुछ देर बाद हेमराज जी बाहर आ गये और मैं अजय पाल सर से मिलने उनके चैम्बर में चला गया, इसके बाद मेरी अजय पाल सर से हेमराज जी को दी गई चार्जशीट को बन्द करने की कहा तो उन्होने बन्द करने की हां कर दी इसके बाद मैने अजय पाल सर को हेमराज जी द्वारा दिये गये कागज में लिपटे हुए 20,000/–रूपये को निकालकर दिया तो उन्होने कहा कि टेबल पर रख दो, उनके कहने पर मैने रूपये निकाल कर टेबल पर रख दिये जिनको अजय पाल सर ने उठा कर अपनी कार्य करने की टेबल की रेक में रख लिये इसके बाद आप आ गये। हेमराज जी द्वारा दिये गये रिश्वत राशि 20,000/–रूपये अभी रेक में रखे हुए हैं, आरोपी के उक्त कथन पर परिवादी श्री हेमराज से पूछा गया तो बताया कि श्री महेश शर्मा कैटरिंग बैण्डर सही कह रहे हैं इन्होने मुझसे चार्जशीट बन्द करवाने की एवज में श्री अजय कुमार पाल के लिये 20,000/–रूपये रिश्वत की मांग कर प्राप्त किये हैं। तत्पश्चात श्री अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक से रिश्वत राशि 20,000/–रूपये के संबंध में पूछा तो बताया कि मैं माह जून 2020 से वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक कोटा मण्डल के पद पर पदस्थापित हूं। दिनांक 17.01.2022 को कोटा से देहरादून जाने वाली गाडी संख्या 12401 नन्दादेवी एक्सप्रेस के ए–2 कोच में डुमरिया, बयाना खण्ड के बीच आग लग जाने के कारण हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक को वाणिज्य कन्ट्रोल के माध्यम से सूचित करने के उपरान्त भी श्री हेमराज मीणा जी दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना के दौराने संपादित किये जाने वाले वाणिज्य कार्य नहीं किये इस प्रकार पश्चिम मध्य रेल्वे दुर्घटना नियमावली 2004 के चैप्टर III की मद संख्या 318(1) में उल्लेखित कार्यों को संपादित करने में श्री हेमराज जी असमर्थ रहे थे इस दुर्घटना के कारण नन्दादेवी एक्सप्रेस के अलावा गाडी संख्या 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस हिण्डौन सिटी स्टेशन पर 35 मिनिट तथा गाडी संख्या 19019 देहरादून एक्सप्रेस 05 मिनिट अतिरिक्त समय तक खडी रही इस कारण वाणिज्य विभाग की छवि धूमिल हुई। श्री हेमराज जी का यह कृत अनुसाशन हीनता एवं सरकारी आदेशों व नियम की अवहेलना दर्शाने के कारण श्री हेमराज मीणा को रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3.1 के उप नियम (ii), (iii) व (ix) के उलंघन का आरोपी पाये जाने पर कार्यालय पत्रांक सी डब्लू सी आर/ पी– केटीटी/421/1/994 दिनांक 16.03.2022 से चार्जशीट दी गई थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास हिण्डौन रेल्वे स्टेशन पर कैटरिंग बैण्डर का कार्य करने वाले श्री महेश शर्मा का कॉल आ रहा था कि श्री हेमराज मीणा खान पान निरीक्षक भरतपुर आपसे मिलना चाह रहे हैं तो मैने हेमराज मीणा से मिलने के लिये कई बार मना किया था। परन्तु महेश कुमार शर्मा, हेमराज मीणा को आज जबरदस्ती मिलने के लिये ले आये। आज दिनांक 31.03.2022 को अभी शाम को महेश कुमार शर्मा मेरे कक्ष में आये और कहा कि हेमराज मीणा मेरे साथ आये है जो बाहर खडे है आपसे मिलना चाह रहे है और उन्होने तीन खुले कागज दिये थे और उन्होने एक कागज मुडी हुई अवस्था में टेबल के उपरी सतह पर घसीटते हुए मेरी रेक में डाला था इसके बाद महेश जी कक्ष से बाहर चले गये और हेमराज मीणा मेरे कक्ष के अन्दर आये जिन से बातचीत कर समझाया कि अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें एवं रेल्वे प्रशासन के खिलाफ छद्म तरीके से कोई शिकायत ना करें। तो हेमराज मीणा ने कहा कि मैं सुधर गया हूं आगे से कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसके बाद हेमराज मीणा मेरे कक्ष से बाहर चले गये इसके तुरन्त बाद महेश शर्मा दुबारा मेरे कक्ष में आये इसके बाद आप और आपकी टीम आ गई मैने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है व महेश कुमार शर्मा द्वारा रखी गई रिश्वत राशि रेक में रखी हुई है। आरोपी श्री अजय कुमार पाल के सरकारी

आवास की खाना तलाशी हेतु टीम रवाना करने के लिये उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया व आवास की निगरानी हेतु श्री श्रवण बिश्नोई पुलिस निरीक्षक व श्री सत्यपाल कानि0 317 को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया तत्पश्चात दोनों आरोपियों को यथा स्थिति बनाये रखने हिदायत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर कक्ष में बने हुए अटैच वॉशरूम से प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी मंगवाकर स्टील के कटोरे को सैम्पू व साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह श्री अनूप सिह कनिष्ठ अभियंता से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में श्री महेश कुमार शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को सैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री महेश कुमार शर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात पुनः स्टील के कटोरे को सैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री अजय कुमार पाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर एच–3 व आर एच–4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद पुनः स्टील के कटोरे को सैम्पू व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री अजय कुमार पाल के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–3 व एल एच–4 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद आरोपी अजय कुमार पाल की कार्य करने की टेबल की रेक को गवाह श्री नरेश सिंह कनिष्ठ अभियंता से दिखवाया तो एक सफेद कागज में मुडी हुई अवस्था पांच–पांच सौ रूपये के नोट दिखाई दिये जिनको उठवा कर गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये होना पाये गये गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत नोट से उक्त नोटो का मिलान करवाया गया तो नम्बर हुबहु पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 GW 314109
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 HL 863208
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 ED 643500
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 EQ 124882
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 AH 258117

6.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 TT 317760
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 HD 473770
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 EQ 195218
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 AR 037717
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 VK 994323
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 HL 642514
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 PG 887720
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 BA 887148
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 HF 896841
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 AT 030821
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 PG 291196
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 RC 754486
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 AS 391290
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 TG 931392
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 HT 742826
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 AB* 293910
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 UE 138893
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 GB 668673
24.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 KC 568849
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 GU 249308
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 RB 271651
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 US 764132
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 GB 540651
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 UB 846942
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 CC* 378536
31.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 BL 343889
32.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 ME 354989
33.	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 CQ 231779
34.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 AT 427597
35.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 UQ 181136
36.	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 WM 893879
37.	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 RF 392584
38.	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 PL 335702
39.	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 MK 986379
40.	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 HF 195702

उक्त नोटों को एवं सफेद कागज जिसमें नोट रखे हुए थे को, एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया एवं रिश्वती राशि जहां से बरामद हुई उस टेबल की दराज को, ट्रेप बॉक्स में से स्टील का कटोरा निकलवा कर उसे सैम्पू व साफ पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर उसमें रूई के फोये को भिगो कर टेबल की दराज को पुछवा कर पुनः रूई के फोये को घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क डी–1 व डी–2 अंकित करवाकर वजह

सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। व रूई के फोये को सुखवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "आरएफडी' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद आरोपी महेश कुमार के बताये अनुसार जहां रिश्वत राशि टेबल के शीशे पर रखी गई थी को, स्टील का कटोरा को सैम्पू व साफ पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर उसमें रूई के फोये से उस स्थान को जहां आरोपी महेश कुमार ने बताया को पुछवा कर पुनः रूई के फोये को घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क टी–1 व टी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। व रूई के फोये को सुखवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "आरएफटी' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी महेश कुमार शर्मा कैटरिंग बैण्डर के द्वारा पहने हुए पेन्ट को उतरवाया जाकर पहन ने के लिये बाजार से लॉयर मगवा कर तत्पश्चात स्टील का कटोरा को सैम्पू व साफ पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर पेन्ट के साईड की दांयी तरफ की जेब को उल्टा कर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पीपी–1 व पीपी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व पेन्ट के जेब को सुखवा कर पेन्ट का अवलोकन किया गया तो पेन्ट सफेद रंग का है, के साईड के दांयी तरफ के जेब पर नीले बॉल पेन से संबंधित के हस्ताक्षर करा कर एक सफेद कपडे की थैली रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पीपी" अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। परिवादी श्री हेमराज मीणा से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण लेपटॉप की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक से परिवादी की चार्जशीट से संबंधित पत्रावली पेश करने हेतु कहा तो उन्होने अपनी कार्य करने की टेबल से परिवादी हेमराज मीणा खान पान निरीक्षक भरतपुर से संबंधित पत्रावली पेश की जिसे पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। आरोपीगण श्री अजय कुमार पाल व महेश कुमार शर्मा के मोबाईलों जिसमें परिवादी हेमराज के कार्य से संबंधित वॉट्स एप्प चैट व वॉट्स एप्प कॉल रिकॉर्ड का स्क्रीन शॉट लिया जाकर जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक व महेश कुमार शर्मा कैटरिंग बैण्डर (दलाल) का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपीगणों को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.30 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक भरतपुर से संबंधित पत्रावली आरोपी श्री अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक ने अपने कार्य करने की टेबल से पेश करने पर उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज संख्या 01 लगायत 11 है जिसके कवर पृष्ट पर पश्चिम मध्य रेल विभाग वाणिज्य, कार्यालय मण्डल कार्यालय कोटा एवं उपर की तरफ 994 लिखा हुआ है फाईल नं0 सी डब्लू सीआर / पी–केटीटी/421/1/994 श्री हेमराज मीणा

खानपान निरीक्षक भरतपुर लिखा हुआ है। पत्रावली के पेज संख्या 1 पर कार्यालय नोट शीट कार्यालय अधीक्षक के दिनांक 30.03.2022 में हस्ताक्षर अंकित है व 30.03.2022 में ही मुख्य कार्यालय अधीक्षक (वाणिज्य) के हस्ताक्षर हैं तथा अगला फिकरा वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक को मार्क कर रखा है जिसपर कोई टिप्पणी अंकित नहीं है। पत्रावली का पेज संख्या 02 रिक्त है एवं पेज संख्या 03 से 05 तक हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक द्वारा दिनांक 28. 03.2022 को दिया गया आरोप पत्र का जबाब है तथा पेज संख्या 06 से 11 तक हेमराज मीणा को दिये गये नोटिस, पावती व नोटशीट से संबंधित पृष्ट लगे हुऐ हैं उक्त पत्रावली की कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत आवश्यकता होने से मूल पत्रावली को कब्जा एसीबी लिया जाकर जप्त किया गया। उक्त प्रत्रावली के पेज संख्या 01 व अंतिम पेज संख्या 11 पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पत्रावली शामिल कार्यवाही की गई। फर्द जप्ती बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 01.04.2022 को समय 12.15 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक व महेश कुमार शर्मा कैटरिंग बैण्डर (दलाल) के मोबाईल फोन जिसमें परिवादी श्री हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक भरतपुर से संबंधित कार्य में की वॉट्स एप्प चैट व वॉट्स एप्प कॉल का विवरण अंकित है को कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाना है, मोबाईलों का विवरण निम्न प्रकार है। 1– आरोपी अजय कुमार पाल का मोबाईल – एक मोबाईल वन प्लस नोर्ड जिसमें 9001017950 नम्बर की जियो कम्पनी की सिम डली हुई है तथा उक्त नम्बर से ही मोबाईल में वॉट्स एप्प सक्रिय है। उक्त मोबाईल में आरोपी महेश कुमार शर्मा का मोबाईल नं0 9530118758 जो Mehesh Sharma HAN के नाम से सेव (सुरक्षित) है, आरोपी के मोबाईल के वॉट्स एप्प के द्वारा की गई चैट व कॉल रिकॉर्ड का स्क्रीन शॉट लिया जाकर स्क्रीन शॉट के प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर स्क्रीन शॉटों को शामिल पत्रावली किया गया। 2– आरोपी महेश कुमार शर्मा का मोबाईल– एक मोबाईल रेडमी कम्पनी का जिसमें 9530118758 नम्बर की एयरटेल कम्पनी की सिम डली हुई है तथा उक्त नम्बर से ही मोबाईल में वॉट्स एप्प सक्रिय है। उक्त मोबाईल में आरोपी अजय कुमार पाल का मोबाईल नं0 9001017950 जो Sr Dcm Kota नाम से सेव (सुरक्षित) है उक्त मोबाईल के वॉट्सएप्प कॉल का रिकॉर्ड उपलब्ध है जबकि चैट उपलब्ध नहीं है चैट के संबंध में आरोपी महेश कुमार से पूछा तो आरोपी ने बताया कि मै चैट करने के बाद चैट का डिलीट कर देता हूं। आरोपी के मोबाईल के वॉट्स एप्प के द्वारा की गई कॉल रिकॉर्ड का स्क्रीन शॉट लिया जाकर स्क्रीन शॉट के प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर स्क्रीन शॉटों को शामिल पत्रावली किया गया। उक्त दोनों मोबाईलों को कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जप्ती मोबाईल बाद हस्ताक्षर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 01.30 एएम पर आरोपी श्री अजय कुमार पाल पुत्र अक्षयवर नाथ पाल जाति बघेल (पाल) उम्र 34 साल निवासी ग्राम नयन्पुर पुलिस थाना भदोही कोतवाली जिला सन्त रविदास नगर उत्तर प्रदेश हाल निवासी सरकारी आवास नं0 आरई –V/3 रेल्वे ऑफिसर कॉलोनी कोटा हाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक (आई.आर.टी.एस.)कोटा मण्डल को परिवादी हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक भरतपुर से दलाल महेश कुमार शर्मा के मार्फत परिवादी को दी गई चार्जशीट को फाईल करने के एवज में 20,000/–रूपये रिश्वत लेते हुऐ रंगें हाथों पकडने जाने का जुर्म जैर दफा धारा 7, 7 ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिव कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.00 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री महेश कुमार पुत्र रामखिलाडी जाति ब्राहम्ण उम्र 50 साल निवासी वर्धमान नगर हिण्डौन सिटी पुलिस

थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल केटरिंग बैण्डर (दलाल) रेल्वे स्टेशन हिण्डौन सिटी को परिवादी हेमराज मीणा खानपान निरीक्षक भरतपुर से आरोपी अजय कुमार पाल के लिये परिवादी को दी गई चार्जशीट को फाईल करवाने के एवज में 20,000/—रूपये रिश्वत लेते हुऐ रंगें हाथों पकडने जाने का जुर्म जैर दफा धारा 7, 7 ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 02.40 एएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका लाईट की रोशनी में परिवादी निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 03.30 एएम पर रीतराम हैड कानि0 45 मय जाप्ता मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण मय प्राईवेट वाहन के आरोपीगण को बन्द हवालात कराने के लिये थानाधिकारी पुलिस थाना भीमगंज मंडी के नाम तहरीर जारी कर पुलिस थाना भीमगंज मण्डी जिला कोटा शहर रवाना कर हिदायत दी की आरोपीगण को बन्द हवालात कराकर सीधे ही होटल फ्रिन्टीयर रॉयल पहुंचे तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान, परिवादी, व शेष ट्रेप पार्टी के सदस्यों के पैदल बाद ट्रेप कार्यवाही मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के लेपटॉप मय प्रिंटर के कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक कोटा से होटल फिन्टीयर रॉयल के लिये रवाना हुआ। इसके बाद समय 03.45 एएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमरीयान गवाहान, परिवादी, व ट्रेप पार्टी के सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा फिन्टीयर रॉयल होटल पहुचा। जप्तशुदा एवं शील्डशुदा रिश्वती राशि 20,000/—रूपये, धोवन की 14 सील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात को सुरक्षित होटल के कमरे में रखवाया गया। तत्पश्चात समय 04.30 एएम पर परिवादी हेमराज मीणा से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसमें वक्त रिश्वत लेन—देन परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, को लैपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष डीवीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। डीवीडी की और तीन डीवीडी तैयार करवायी गई। मूल डीवीडी एवं दो मुल्जिम डीवीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " B" अंकित करवाकर मूल डीवीडी एवं दो मुल्जिम प्रति डीवीडी को कपडे की थैलियों में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व दो मुल्जिम डीवीडी को सुरक्षित रखा गया जिन्हे एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंच मालखाना में जमा की जावेगी तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 07.30 एएम पर परिवादी श्री हेमराज खानपान निरीक्षक भरतपुर के मोबाईल नं0 7733001709 पर आरोपी महेश कुमार के मोबाईल नं0 9530118758 पर दिनांक 31.03.2022 को तीन बार हुई वार्ता की तीन मोबाईल ऑडियो रिकॉडिंग पेश की परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्तालाप को लैपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष डीवीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। डीवीडी की और तीन डीवीडी तैयार करवायी गई। मूल डीवीडी एवं दो मुल्जिम डीवीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " C" अंकित करवाकर मूल डीवीडी एवं दो मुल्जिम प्रति डीवीडी को कपडे की थैलियों में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व दो मुल्जिम डीवीडी को सुरक्षित रखा गया जिन्हे एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंच मालखाना में जमा की जावेगी तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात समय 08.30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 05 को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री नरेश सिह कनिष्ठ अभियंता को दी गई।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री हेमराज मीणा हाल खान पान निरीक्षक रेल्वे स्टेशन भरतपुर द्वारा दिनांक 29.03.2022 को एसीबी कार्यालय भरतपुर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मुझे दिनांक 16.03.2022 को एक चार्जशीट श्री अजय कुमार पाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल्वे कोटा मण्डल द्वारा दी गई थी जो मुझे दिनांक 22.03.2022 को प्राप्त हुई थी जिसका जबाब दिनांक 28.03.2022 को भिजवा दिया था इसके बाद दिनांक 29.03.2022 को हिण्डौन सिटी रेल्वे स्टेशन पर केटरिंग बैण्डर का कार्य करने वाले श्री महेश कुमार शर्मा ने कॉल कर कहा कि तुम्हारी चार्जशीट का अजय कुमार पाल जी से मिलकर फाईल करवा दुंगा इसके लिये खर्चे पानी के 20,000/-रूपये देने होगें। मैं तुमको साथ लेकर उनके कार्यालय पैसे दिलवा दुंगा और आपका काम हो जावेगा। उक्त लिखित रिपोर्ट पर दिनांक 29.03.2022 को ही गोपनीय सत्यापन करवाया गया जिसमें दलाल महेश कुमार शर्मा कैटरिंग बैण्डर द्वारा परिवादी को दी गई चार्जशीट को आरोपी अजय कुमार पाल से मिलकर फाईल करवाने की एवज में 20,000/-रूपये रिश्वत की मांग की गई उक्त मांग के अनुसंरण में आज दिनांक 31.03.2022 को आरोपी महेश कुमार केटरिंग बैण्डर दलाल द्वारा परिवादी श्री हेमराज को हमराह कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक कोटा लाकर परिवादी से 20,000/-रूपये रिश्वत के लेकर आरोपी अजय कुमार पाल को दे दिये जिसपर आरोपी अजय कुमार पाल द्वारा रिश्वत राशि 20,000/-रूपये अपनी कार्य करने की टेबल की रेक में रख ली जहां से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7, 7 ए पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी आईपीसी में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्तगण अजय कुमार पाल पुत्र अक्षयवर नाथ पाल जाति बघेल (पाल) उम्र 34 साल निवासी ग्राम नयनपुर पुलिस थाना भदोही कोतवाली जिला सन्त रविदास नगर उत्तर प्रदेश हाल निवासी सरकारी आवास नं0 आरई -V/3 रेल्वे ऑफिसर कॉलोनी कोटा हाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक (आई.आर.टी.एस.)कोटा मण्डल एवं महेश कुमार पुत्र रामखिलाडी जाति ब्राहम्ण उम्र 50 साल निवासी वर्धमान नगर हिण्डौन सिटी पुलिस थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली हाल केटरिंग बैण्डर (दलाल) रेल्वे स्टेशन हिण्डौन सिटी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित की जावेगी।

(महेश मीणा)
अति.पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, एसयू भरतपुर
कैम्प कोटा।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर-एसयू, भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री अजय कुमार पाल, हाल वरिष्ठ मण्डल, वाणिज्य प्रबंधक, (आई.आर.टी.एस.) कोटा मण्डल एवं 2. श्री महेश कुमार, हाल केटरिंग बैण्डर रेल्वे स्टेशन, हिण्डोन सिटी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 111/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.4.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 982-86 दिनांक 01.04.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मैम्बर ट्रेफिक, रेलवे बोर्ड (भारत सरकार के राष्ट्रपति की ओर से) 256-ए, रेल भवन रोड़, नई दिल्ली पिन नं0 110001
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।